रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062022-236732
CG-DL-E-22062022-236732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2682] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2022/ज्येष्ठ 31, 1944
No. 2682] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2022/JYAISTHA 31, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

सं. 13 / 2015–2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–12 के आईटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के तहत तरबूज के बीज की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 2821(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–12 के आईटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के तहत नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
12077090	तरबूज के बीज–अन्य	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	आयात अध्याय के नीतिगत शर्त (4) के अधीन	I. आयात अध्याय के नीतिगत शर्त (4) के अधीन। II. तरबूज के बीज की आयात नीति, दिनांक 30.09.2022 तक ''मुक्त'' है। III. निर्यात करने वाले देशों से दिनांक 30.09.

					2022 तक किया गया तरबूज के बीज का पोतलदान भारतीय सीमा शुल्क पत्तन पर निकासी हेतु अनुमत होगा बषर्ते कि, प्रविष्ट बिल फाइल की गयी हो और ऐसे माल को दिनांक 31.10.2022 तक जांच हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारी को सौंपा जाए। IV. तरबूज के बीज का आयात केवल कांडला (आईएनआईएक्सवाई1) और मुंद्रा (आईएनएमयूएन1) पत्तनों से अनुमत होगा।

इस अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस) कोड 12077090 के तहत आने वाले तरबूज के बीज का आयात दिनांक 30.09.2022 तक ''मुक्त'' है। यह आयात केवल कांडला (आईएनआईएक्सवाई1) और मुंद्रा (आईएनएमयूएन1) पत्तनों से अनुमत होगा।

[फा. सं. 01/89/180/14/एएम 21/पीसी–2(क)/ई–28288]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदे विदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Directorate General Of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2022

No. 13 /2015-2020

Subject: Amendment in Import Policy Condition of Water Melon Seeds under ITC(HS) Code 1207 70 90 of Chapter-12 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy)

S.O. 2821(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition under ITC (HS) 1207 70 90 of Chapter 12 of ITC (HS) 2022, Schedule 1 (Import Policy) as under:

ITC(HS) Code	Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
12077090	Melon Seeds - Other	Restricted	Restricted	Imports subject to Policy Condition (4) of the Chapter.	i. Imports subject to Policy Condition (4) of the Chapter. ii. Import Policy of Water Melon Seeds is "Free" till 30.09.2022 iii. Shipments of Water Melon Seeds made by 30.09.2022 from the exporting countries may be allowed for clearance at Indian Customs port, provided that Bill of Entry is filed and such goods are handed over to the Customs authority for examination by 31.10.2022 iv. The imports of Water Melon Seeds shall be permitted from Kandla (INIXY1) and Mundra (INMUN1) Ports only.

Effect of this Notification: Import of Water Melon Seeds falling under ITC(HS) code 12077090 is 'Free' till 30.09.2022. Given import shall be allowed from Kandla (INIXY1) and Mundra (INMUN1) Ports only.

[F. No. 01/89/180/14/AM21/PC-2(A)/E-28288]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.22 15:55:28 +05'30'